International Journal of Advanced Educational Research
ISSN: 2455-6157
Impact Factor: RJIF 5.12
www.educationjournal.org
Volume 3; Issue 2; March 2018; Page No. 271-274

विद्यालय प्रबन्धन : एक अध्ययन

दुर्गेश नन्दन त्रिपाठी
एम0ए0, एम0एड्0, यू0जी0सी0 नेट (जे0आर0एफ0) शिक्षाशास्त्र, उत्तर प्रदेश, भारत।

प्रस्तावना

प्राचीन काल से ही किसी भी व्यक्ति, समूह, संस्था या राष्ट्र की वैयक्तिक, सामाजिक शैक्षिक या आर्थिक उन्नति में सुप्रबन्धन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यह बात उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण के वर्तमान दौर में और भी अधिक प्रमुखता के साथ उभरकर सामने आई है।

किसी क्षेत्र विशेष में काम करने वाले विभिन्न व्यक्ति यदि स्वतंत्र रूप में तथा अपने–अपने ढंग से कार्य करेंगे तो उस क्षेत्र विशेष में समन्वित ढंग से सभी कार्यों का हो पाना एवं वाँछित उद्देश्यों की प्राप्ति हो पाना सम्भव नहीं हो सकता।

सामूहिक रूप से व्यक्तियों के सहयोग से उद्देश्यों को प्राप्त करने में प्रबन्धन, प्रशासन व नियोजन जैसी प्रक्रिया का महत्वपूण योगदान रहता है। यही कारण है, कि शिक्षा जैसे क्षेत्र में भी प्रबन्धन की अपरिहार्य आवश्यकता महसूस ही जाती है।

उचित प्रबन्धन के द्वारा उपलब्ध मानवीय संसाधनों को समुचित रूप से व्यवस्थित करके उनका अधिकतम उपयोग किया जाता है, इससे कार्य प्रणाली में गति आती है, संसाधनों का मितव्ययितापूर्ण उपयोग होता है तथा उद्देश्यों की पूर्ति शीघ्रता व सहजता से सम्भव हो पाती है। शैक्षिक प्रबन्धन के द्वारा हम पूर्व निर्धारित अधिगम लक्ष्यों को कम समय में सहजता के साथ प्राप्त कर सकतें हैं।

सुव्यवस्थित प्रबन्धन के द्वारा शिक्षण तथा अधिगम के लिए न केवल मानवीय तथा भौतिक संसाधनों की व्यवस्था की जाती है, वरन् उनमें इस प्रकार परस्पर समन्वय किया जाता है, जिससे वांछित उद्देश्यों की सहजता से प्राप्ति संभव हो सके।

आधुनिक प्रबन्धन का इतिहास 20वीं सदी के प्रारम्भ से शुरू होता है। जब औद्योगिक क्रान्ति के साथ–साथ प्रबन्धन के क्षेत्र में अनेक ऐसे प्रयोग किये गये जिनसे प्रबन्धन के अनेक सिद्धान्तों का जन्म हुआ। इन सिद्धान्तों में टेलर का प्रबन्ध दक्षता सिद्धान्त, एल्टन मेयों का मानवीय सम्बन्ध सिद्धान्त, मैक्सवेबर का ब्यूरोक्रेसी सिद्धान्त, गुलिक व फेयोल का प्रशासनिक प्रक्रिया सिद्धान्त अत्यन्त महत्वपूर्ण सिद्ध हुए एवं इन्होंने प्रबन्ध के क्षेत्र को सार्थक ढंग से प्रभावित किया।

बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भिक काल में टेलर द्वारा प्रतिपादित वैज्ञानिक प्रबन्ध संप्रत्यय ने विद्यालयी दक्षता प्राप्ति के लिए शिक्षक और विद्यार्थियों के परस्तर सम्बन्धों तथा शिक्षक और प्रधानाध्यापक के परस्पर सम्बन्धों को निश्चित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस सिद्धान्त के द्वारा प्रधानाध्यापक द्वारा विद्यालय के उद्देश्यों की पूर्ति में शिक्षकों का प्रभावी सहयोग प्राप्त किया जा सकता है और विद्यालयी दक्षता बढ़ायी जा सकती है।

मैकग्रेगर (1960) के अध्ययनों ने दो और प्रमुख सिद्धान्तों को जन्म दिया, जिसे सिद्धान्त X व सिद्धान्त Y नाम दिया गया। सिद्धान्त X के अनुसार मान्यता है, कि व्यक्ति अपनी मूल प्रकृति के कारण कार्य करना नहीं चाहते हैं अतः इन्हें यह बताने की आवश्यकता है कि, उन्हें करना है? इससे विपरीत सिद्धान्त Y की मान्यता है, कि व्यक्ति अपने कार्य में आनन्द लेते हैं, अतः कार्य सम्बन्धी निर्णयों में उनकी सहभागिता अवश्य होनी चाहिए। निर्णय में सहभागिता से व्यक्ति की दक्षता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

कर्मियों की अभिप्रेरणा व संगठन की प्रभाविकता तथा कार्यकर्ताओं की आत्म संतुष्टि व प्रभाविकता को लेकर मैस्लो (1962) व हजबर्ग (1956) ने कतिपय मनोवैज्ञानिक कारकों का पता लगाया, जो संगठन के उत्पादन को प्रभावित करते हैं। मैस्लो ने आवश्यकताओं के पांच स्तरों को ज्ञात किया, जिनका कार्य संतुष्टि से सम्बन्ध है। अतः शैक्षिक निहितार्थ की दृष्टि से शैक्षिक कार्यों को परिणामों के सकारात्मक रूप से जोड़ने में अभिप्रेरणा का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है। ओहियो स्टेट विश्वविद्यालय में नेतृत्व की प्रभावशीलता को लेकर हेंफिल तथा कून (1957) के अनुसंधान में मानवीय सम्बन्धों पर अधिक बल देने में परिभाषित हुआ तथा इसके फलस्वरूप औद्योगिक संगठनों में उत्पादन दक्षता के लिए मानवीय सम्बन्धों पर बल देने को प्राथमिकता दी जाने लगी।

इसी क्रम में एल्टन मेंयो के द्वारा संगठनों में प्रभावकारी कार्यकारी दशाओं के सम्बन्ध में कार्य की दशाओं के प्रभाव का भी अध्ययन किया गया। उनका मानना था कि कामगार केवल आदेशों से कार्य नहीं करते वरन उन कार्यकारी दशाओं से भी प्रभावित होते हैं, जिनमें वे कार्य करते हैं, किन्तु आगे चलकर अनेक अध्ययनों ने मानवीय सम्बन्धों पर अधिक बल देने के दुष्प्रिणामों के फलस्वरूप उद्योगों के उत्पादन पर विपरीत प्रभाव भी पाया गया। मैक्स बेबर के नौकरशाही प्रतिमान के अनुसार संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति में निर्वैयक्तिक ढंग से प्रशासनिक स्तरों पर लिए गये निर्णयों, स्पष्ट अधिकृति के अधिकार व कर्तव्यों का स्पष्ट निर्धारण व तकनीकी विशेषज्ञता कार्य का सही मूल्यांकन प्रमुख आधार है। इस संप्रत्यय ने बड़े–बड़े विद्यालय संगठनों में निश्चित स्तरों पर अधिकृत्यों के स्पष्ट अधिकार और कर्तव्यों का स्पष्ट रूप से निर्धारण करने में योगदान दिया तथा परस्पर सम्बन्धों के लिए नियमों के आधार व निर्वैयक्तिक ढंग से मूल्यांकन करने के सिद्धान्त के अनुसरण पर बल दिया।

ब्यूरोक्रेसी के इस सिद्धान्त ने विश्व भर के प्रबन्ध प्रशासन को प्रभावित किया एवं इसने विद्यालयों की प्रबन्ध व्यवस्था को प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके अनुसार विद्यालय संगठन के लक्ष्य स्पष्ट रूप से निर्धारित होने चाहिए तथा संगठन के विविध स्तरों पर अधिकार और कर्तव्य स्पष्ट रूप से निश्चित किए जाने चाहिए तथा संगठन के लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से प्राप्त किया जाना चाहिए। इसमें शिक्षण तकनीकी, विशेषज्ञता के आधार पर वेतन भत्ते निश्चित किये जाने चाहिए। प्रशासनिक अधिकारियों के मध्य सम्बन्धों के लिए भी निश्चित कायदे व कानून आवश्यक है।

मैक्स बेबर के सिद्धान्त ने वृहद विद्यालय संगठनों को तथा तकनीकी विशेषज्ञता बढ़ाने को प्रेरित किया। इसमें प्रत्येक व्यक्ति

की स्पष्ट भूमिका, सम्बन्ध, पद, श्रृंखला व कार्य निश्चित किए गये, ताकि जटिल संगठन प्रणाली को प्रभावी ढंग से प्रबन्धित किया जा सके। यद्यपि प्रबन्धन अधिकृतियों के अधिकार और उनके कार्य निश्चित कर दिये गये, अधिकृत पद सोपान सृजित हो गए और प्रत्येक पद सोपान के मध्य सम्बन्ध भी, परन्तु ये सम्प्रत्यय आज के परिवेश में अपर्याप्त ही प्रतीत होते हैं। कार्यकर्ताओं तथा अधिकृत कार्यकर्ताओं के सम्बन्ध तथा अधिकृति व अधिकृत के सम्बन्धों में सुधार करने की जरूरत है, ताकि बदलते हुए नए सामाजिक परिवेश के लिए ये उपयुक्त बन सके।

समूह को अधिकार तथा निर्णय में सहभागिता प्रदान करना आज का एक ज्वलन्त विषय है, जिसमें विद्यालय रूपी संगठन आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके तथा समाज की शैक्षिक सेवा में अधिकारिक सहभागी बन सके।

शिक्षा के क्षेत्र में प्रबन्धन अपेक्षाकृत एक नवीन सम्प्रत्यय है। वस्तुतः उन्नीसवीं तथा बीसवीं शताब्दी में हुए औद्योगिक विकास एवं विज्ञान व तकनीकी के क्षेत्र में हुई प्रगति में सम्पूर्ण समाज को सकारात्मक ढंग से प्रभावित किया है तथा शिक्षा का क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं रहा है। उद्योग व व्यवसाय के क्षेत्रों में आगे प्रबन्ध व प्रशासन के विविध आयामों, सिद्धान्तों, सोपानो तथा प्रक्रियाओं का प्रभाव शिक्षा व्यवस्था पर भी पड़ा एवं शिक्षा के क्षेत्र में भी 'प्रबन्धन' शब्द को ग्रहण कर लिया गया है। निश्चय ही शैक्षिक प्रबन्धन में मानवीय संसाधन (शिक्षक, छात्र, कर्मचारी, प्राचार्य आदि) व भौतिक संसाधन (भूमि, भवन, उपकरण फर्नीचर आदि) का युक्तिपूर्ण ढंग से प्रबन्धन करना समाहित रहता है। इसके साथ ही पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या पाठ्यपुस्तक, शिक्षण विधि, परीक्षा आदि का सम्यक ढंग से आयोजन करना निहित होता है।

इस प्रकार स्पष्ट है, कि शैक्षिक प्रबन्धन से अभिप्राय शैक्षिक नीतियों व कार्यक्रमों का संचालन करने के लिए उपलब्ध मानवीय व भौतिक संसाधनों का युक्तिपूर्ण ढंग से उपयोग करना है, जिससे कि शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके। स्पष्ट है, कि शैक्षिक प्रबन्धन गत्यात्मक प्रकृति का होता है एवं शिक्षक के सभी पक्षों से घनिष्ठ रूप से जुड़ा रहता है।

सामान्य प्रबन्धन में दृष्टि जहां प्रायः अधिक उत्पादन व धर्नाजन पर केन्द्रित रहती है, वहीं शैक्षिक प्रबन्धन छात्रों के व्यवहार व शैक्षिक संप्राप्ति में सुधार लाने तथा उन्हें समाज का उपयोगी नागरिक बनाने पर केन्द्रित रहता है। बीसवीं व इक्कीसवीं शताब्दी में ज्ञान और विज्ञान की निरन्तर अभिवृद्धि ने विद्यालयों के स्परूप और सामाजिक अपेक्षाओं को बहुत बढ़ा दिया है। ज्ञान अभिवृद्धि व हस्तान्तरण तकनीकों ने विद्यालय प्रबन्ध के महत्व को और बढ़ा दिया है। वस्तुतः अब विद्यालय इस प्रकार के संगठन है जो समाज के शैक्षिक, सांस्कृतिक लक्ष्यों के अनुरूप भावी पीढ़ी को भविष्य की चुनौतियों के मुकाबले के लिए तैयार करते हैं। शिक्षा की बढ़ती मांग के फलस्वरूप विद्यालयों में अब अधिवृत्तियों, योग्यताओं तथा समाज के विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, स्तरों से विद्यार्थी प्रवेश लेने आते हैं। अतः इन विद्यालयों के सामने विभिन्न क्षमताओं, विभिन्न वर्गों व भिन्न–भिन्न सामाजिक स्तरों के छात्रों की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने की चुनौती है।

अन्तर राष्ट्रीय स्तर पर डेलर शिक्षा आयोग (1996) ने अपने प्रतिवेदन में ज्ञान देना ही एक मात्र, विद्यालयों का कार्य नहीं माना है, वरन् उनके अनुसार शिक्षा/शिक्षण द्वारा मानव जीवन के निम्नवत् चार प्रमुख आधारों को विकसित करना महत्वपूर्ण माना है– पहला– ज्ञान को सीखना, दूसरा– कार्य को सीखना तीसरा– जीवन जीने को सीखना तथा चौथा– स्वयं को जानना।

आज विद्यालय प्रबन्धन कार्य मात्र ज्ञान या सूचनाओं का प्रबन्ध मात्र नहीं है, वरन् उसे भावी उपयोगी नागरिक निर्माण के लिए, जीवन जीने के लिए, कौशलों का विकास, सामाजिक सहयोग पूर्ण जीवन जीने के लिए, सामुदायिक जीवन का अभ्यास कराने तथा स्वयं की अन्तर्निहित शक्तियों की पहचान कराने एवं स्वयं को पहचानने की क्षमता विकसित करने से है।

विद्यालय में राष्ट्र के भावी नागरिकों का निर्माण होता है। इसलिए शैक्षिक प्रबन्धन के विविध घटकों में विद्यालय की प्रबन्धन व्यवस्था करना अत्यन्त महत्वपूर्ण है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है, कि विद्यालय में ही समाज व राष्ट्र के लिए अपेक्षित, उपयोगी व्यक्तियों, व्यवहार, मूल्यों का पोषण तथा भावी आजीविका के लिए अपेक्षित कौशलों का विकास तैयार होता है। वस्तुतः किसी भी राष्ट्र के विकास का आधार विद्यालय में ही तैयार होता है। यदि प्रबन्धन द्वारा राष्ट्रीय या सामाजिक रूप से अपेक्षित नीतियों के के अनुरूप कार्यक्रम चलाते जाते हैं तब ही कोई राष्ट्र विकास की अग्रणी पंक्ति में आ सकता है।

वर्तमान में भारत में लगभग 20.50 करोड़ बच्चे आरम्भिक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इस विशाल शैक्षिक तंत्र की सफलता हेतु आवश्यक है, कि प्रत्येक विद्यालय का प्रबन्धन स्वतन्त्र रूप से संचालित हो तथा अन्तिम इकाई को भी प्रतिभागिता के साथ–साथ सम्बन्धित को अपनी बात कहने का अवसर प्राप्त हो। उसकी बात लेखबद्ध भी होनी चाहिए।

विद्यालय प्रबन्धन की दिशा में महत्वपूर्ण पहल तब हुई, जब 'निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार कानून–2009' के तहत धारा 21 में प्रत्येक विद्यालय हेतु 'विद्यालय प्रबन्ध समिति' के गठन की बात की गयी। 'निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार कानून 2009' को 1 अप्रैल 2010 से एक साथ पूरे देश में लागू कर भारत सरकार ने निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक तथा दूरगामी प्रभाव डालने वाली पहल की है। भारतीय संसद में 4 अगस्त 2009 को पारित इस कानून को 27 अगस्त 2009 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया तथा 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया। इसमें सर्व शिक्षा अभियान एवं मध्यान्ह भोजन योजना को भी जोड़ा गया है।

भारत अब दुनिया के उन 135 देशों में सम्मिलित हो गया है, जो बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को अपने देश में कानूनी जामा पहना चुके हैं। इसी दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार ने कानून से जुड़े प्रावधानों को जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु 'उ0प्र0 निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011' का निर्माण कर 20 मार्च 2011 से पूरे प्रदेश में लागू कर एक महत्वपूर्ण पहल की है। यह पहल जमीनी स्तर पर शिक्षा में गुणात्मक बदलाव लाने की दिशा में प्रयासरत् नगर समाज के विभिन्न घटकों व स्थानीय स्वशासन की इकाईयों को इस दिशा में अपनी क्रियाशीलता बढ़ाने का एक व्यापक अवसर प्रदान करती है।

'निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009' की धारा 21 के अन्तर्गत विद्यालय प्रबन्ध समिति के गठन की बात महत्वपूर्ण ढंग से रखी गयी है, जिसमें कहा गया है, कि प्रत्येक विद्यालय (अवित्त पोषित के अतिरिक्त) में 'विद्यालय प्रबन्ध समिति' का गठन किया जाएगा, जिसमें स्थानीय प्राधिकारी के प्रतिनिधि, सम्बन्धित विद्यालय के शिक्षक और बच्चों के माता–पिता या संरक्षक सम्मिलित किये जायेंगे। विद्यालय प्रबन्ध समिति में तीन–चौथाई सदस्य उक्त विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के माता/पिता/संरक्षक होंगे। बच्चों के अभिभावक सदस्यों में कमजोर वर्ग तथा साधनहीन वर्ग को उचित प्रतिनिधित्व दिया जायेगा। विद्यालय प्रबन्ध समिति में कम से कम 50 प्रतिशत सदस्य महिलाएँ होंगी।

विद्यालय प्रबन्ध समिति का संगठनात्मक ढाँचा विद्यालय का महत्वपूर्ण आधार है। विद्यालय प्रबन्ध समिति के पदाधिकारी विद्यालय के विकास एवं उसकी शैक्षिक गुणवत्ता आदि के लिये महत्वपूर्ण कड़ी है। वह देश हित में शिक्षा के विकास के लिये महत्वपूर्ण सुझाव देकर अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं।

- विद्यालय प्रबन्ध समिति का गठन उसकी अधिकारिता में गैर अनुदानित विद्यालयों के अतिरिक्त प्रत्येक विद्यालय में किया जायेगा एवं प्रत्येक दो वर्ष में इस समिति का पुनर्गठन किया जायेगा।
- विद्यालय प्रबन्ध समिति में 15 सदस्य होंगे, जिनमें से 11 सदस्य बालक एवं बालिकाओं के माता–पिता तथा संरक्षक होंगे।
- विद्यालय प्रबन्ध समिति के अवशेष 4 सदस्यों में निम्न नामित व्यक्ति होंगे अर्थात–
- शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा–2 (एच) में यथा सन्दर्भ स्थानीय प्राधिकारी के निर्वाचित सदस्यों में से एक सदस्य का विनिश्चय स्थानीय प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा।
- एक सदस्य सहायक नर्स एवं मिडवाइफ (ए0एन0एम0) में से लिया जायेगा, जिसका विनिश्चय विद्यालय के अध्यापकों द्वारा किया जायेगा।
- जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट एक लेखपाल सदस्य होगा।
- एक सदस्य विद्यालय का प्रधान अध्यापक अथवा प्रधान अध्यापक की अनुपस्थिति में वरिष्ठतम अध्यापक होगा, जो पदेन सदस्य सचिव होगा।
- विद्यालय प्रबन्ध समिति के संरक्षक सदस्यों में एक–एक सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा कमजोर वर्ग के बालक के माता–पिता अथवा संरक्षक सम्मिलित होंगे।
- विद्यालय प्रबन्ध समिति के संरक्षक सदस्यों का चयन खुली बैठक में आम सहमति से किया जायेगा।
- विद्यालय प्रबन्ध समिति अपने क्रिया–कलापों के प्रबन्धन हेतु माता–पिता/सदस्यों में से एक अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष का निर्वाचन करेगी।
- विद्यालय प्रबन्ध समिति में 50 प्रतिशत महिलाएं अवश्य होंगी तथा यह सुनिश्चित किया जाए, कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष में एक महिला अवश्य होगी।
- विद्यालय प्रबन्ध समिति की बैठक प्रत्येक माह में न्यूनतम एक बार अवश्य होगी और बैठकों का कार्यवृत्त तथा विनिश्चय उचित प्रकार से अभिलिखित तथा सार्वजनिक किया जाएगा।

सदस्यों के चयन हेतु आम सदस्यों (माता–पिता/संरक्षक) की बैठक प्रधान अध्यापक द्वारा आहूत की जायेगी। विद्यालय प्रबन्ध समिति के संरक्षक/सदस्य का चयन खुली बैठक द्वारा होगा, परन्तु विद्यालय की प्रत्येक कक्षा के न्यूनतम एक बच्चे के माता–पिता/संरक्षक समिति में अवश्य सम्मिलित होगा।

सर्वप्रथम प्रत्येक कक्षा के लिए एक माता–पिता, संरक्षक का चयन किया जायेगा। तत्पश्चात् शेष सदस्यों का चयन किया जायेगा। आम सहमति न बनने की स्थिति में चयन उन सदस्यों का होगा, जिनके पक्ष में अधिक अभिभावक हों। आवश्यकता पड़ने पर हाथ उठाकर भारी मत प्राप्त किया जा सकता है। विवाद की स्थिति में सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी उपस्थित रहकर उचित एवं सर्वमान्य समाधान करायेंगे।

विद्यालय प्रबन्ध समिति, विद्यालय की कार्य प्रणाली का अनुश्रवण, विद्यालय विकास योजना का निर्माण एवं उसकी संस्तुति तथा राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकारी अथवा अन्य स्रोतों से प्राप्त अनुदान के सदुपयोग के अनुश्रवण के साथ ही निम्नखिलित कृत्यों का भी निष्पादन करेगी, जिसके लिए वह अपने सदस्यों में से लघुतर कार्य–समूहों का गठन कर सकती है।

- सरल एवं रचनात्मक तरीके से अधिनियम में प्रतिपादित बालक/बालिकाओं के अधिकार एवं माता– पिता या संरक्षक, स्थानीय प्राधिकारी तथा राज्य सरकार के कर्तव्यों के विषय में विद्यालय के आस–पास की आबादी को अवगत कराना।
- धारा 24 के खण्ड (क) व (ख) तथा धारा 28 के समुचित कार्यान्वयन हेतु यह सुनिश्चित करना, कि विद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षिकाओं के विद्यालय में उपस्थित होने में नियमितता एवं समय निष्ठा बनाये रखेंगे। छात्र/छात्राओं के संरक्षकों एवं माता पिता के साथ नियमित बैठक करेंगे और बालक/बालिकाओं की निरन्तर उपस्थिति और अन्य प्रासंगिक सूचना के बारे में अवगत करायेंगे, कि कोई अध्यापक निजी ट्यूशन या निजी अध्ययन में संलग्न नहीं है।
- अधिनियम की धारा 27 के कार्यान्वयन हेतु यह अनुश्रवण करना, कि अध्यापकों पर दस वार्षिकी जनगणना, आपदा राहत कार्यों अथवा यथास्थिति स्थानीय प्राधिकारी या राज्य विधान मण्डल अथवा संसद के निर्वाचन सम्बन्धी कर्तव्यों के अतिरिक्त अन्य किसी गैर–शैक्षणिक कर्तव्यों का भार न डाला जाय।
- विद्यालय में आस–पास के सभी बालक एवं बालिकाओं का नामांकन एवं उनकी निरन्तर उपस्थिति सुनिश्चित करना।
- अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रतिमानों एवं मानकों के रख रखाव का अनुश्रवण करना।
- बालक के अधिकारों के हनन, विशेष रूप से बालकों का मानसिक एवं भौतिक उत्पीड़न, प्रवेश देने से इंकार और धारा 3 (2) के अनुसार निःशुल्क हकदारियों के समयान्तर्गत उपलब्ध को स्थानीय प्राधिकारियों के संज्ञान में लाना।
- जहां किसी बालक की आयु 6 वर्ष से अधिक है और उसे किसी विद्यालय में प्रवेश नहीं दिया गया है, वहां उसके आयु–संगत अधिगम स्तर हेतु आवश्यकताओं का चिन्हांकन, योजना तैयार करना और विशेष प्रशिक्षण के कार्यान्वयन का अनुश्रवण करना।
- निःशक्तताग्रस्त बालकों का चिन्हाकन एवं नामांकन तथा विद्यार्जन के लिए उनकी सुविधाओं और उनकी सहभागिता सुनिश्चित करना एवं प्रारम्भिक शिक्षा पूरी होने का अनुश्रवण करना।
- विद्यालय में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के कार्यान्वयन का अनुश्रवण करना एवं उसकी समृद्धि सुनिश्चित करना।
- विद्यालय की अभिप्राप्तियों एवं व्यय का अनुश्रवण
- विद्यालय प्रबन्ध समिति को अधिनियम के अन्तर्गत अपने कृत्यों के निर्वहन हेतु जो भी धनराशि प्राप्त हो, उसके पृथक लेखा में जायेगा एवं उक्त लेखा वार्षिक संपरीक्षा हेतु उपलब्ध कराया जायेगा।
- उपनियम (9) में निर्दिष्ट लेखों पर विद्यालय प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एवं सदस्य सचिव द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे और उनके तैयार होने के एक माह के अन्दर सम्बन्धित प्राधिकारियों को उपलब्ध कराया जायेगा।

विद्यालय प्रबन्ध समिति वित्तीय वर्ष की समाप्ति से कम से कम 3 माह पूर्व विद्यालय विकास योजना तैयार करेगी। यह विद्यालय विकास योजना तीन वर्षीय होगी। इन तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष की

अलग–अलग उपयोजना भी बनायी जायेगी। निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कार्ययोजना का निर्माण भी होगा। इस विकास योजना का प्रत्येक वर्ष के लिए कक्षावार नामांकन का प्राक्कलन किया जायेगा। इसके साथ अतिरिक्त अवसंरचना तथा उपस्कर आदि की भौतिक आवश्यकताओं का भी प्राक्कलन कर तीन वर्षीय योजना में समावेश किया जायेगा। निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की आवश्यकताओं के अतिरिक्त वित्तीय आवश्यकताओं यथा आयु संगत कक्षा में प्रविष्ट बच्चों को विशेष प्रशिक्षण आदि उत्तरदायित्वों को पूरा करने में वित्तीय आवश्यकताओं का आकलन कर योजना में समावेश किया जायेगा। विद्यालय में प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एवं सदस्य सचिव द्वारा यह विकास योजना हस्ताक्षरित की जायेगी और सक्षम स्तर द्वारा सम्बन्धित प्राधिकारियों के पास इसे प्रस्तुत किया जायेगा। इस प्रकार हम पाते हैं, कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 21 में विद्यालय हेतु विद्यालय प्रबन्ध समिति के गठन की बात की गयी है तथा उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को भी रेखांकित किया गया है। समय–समय पर विद्यालय प्रबन्ध समिति के सदस्यों को प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि विद्यालय प्रबन्धन को लेकर न केवल सरकार सतर्क है अपितु जनसामान्य के स्तर पर भी इसमें रूचि ली जा रही है। हालांकि इस दिशा में हमें और ध्यान देने आवश्यकता है फिर भी यह कहा जा सकता है कि इस दिशा में किये जा रहे प्रयास सराहनीय हैं एवं एक उज्ज्वल भविष्य की ओर अग्रसर हैं।

संदर्भ

1. Tyagi, R.S. : Decentralized Management of Elementary Education and Role of Self-Governance Institutions (NUEPA) Occsional Paper 48)
2. Dr. S.P. Bhatnagar & Dr. Vidya Aggarwal : Educational administration : supervision, planning & financing (R. Lall book depot, Meerut)
3. प्रो0 एल0के0ओड : शैक्षिक प्रशासन (राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर)
4. डॉ0 उमेश चन्द कुदेसिया : शिक्षा प्रशासन (शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद)
5. डॉ0 एस0पी0 गुप्ता एवं डॉ0 अलका गुप्ता : शैक्षिक प्रशासन, प्रबन्धन व नियोजन (राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर)
6. ग्राम शिक्षा समिति प्रशिक्षण पुस्तिका 'जनपहल'
7. डॉ0 शिव रत्न बाजपेयी : सामाजिक अनुसंधान तथा सर्वेक्षण (द्वादश संस्करण)।
8. एस0पी0 सुखिया, पी0वी0 मेहरोत्रा एवं आर0एन0 मेहरोत्रा : शैक्षिक अनुसंधान के मूल तत्व।
9. वर्षिक रिपोर्ट 2014–15 : स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार।
10. (http://www.censusindia.gov.in/2011census/dchb/UP.html)
11. State level achievement survey, Uttar Pradesh (Report 2013-14)
12. External links : official website
    www.mhrd.gov.in
    www.ncert.nic.in
    www.scertup.co.in
    www.kheri.nic.in